



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०(31) हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/1564-1900 दिनांक:- 26-02-2024

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या क्रमांक: हि०शि०बो०(31) हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन/1564-1900 दिनांक:- 07-10-2023 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के तहत प्रचलित पात्रता मापदण्डों के नियमों में निम्न अनुसार से संशोधन करने के सहर्ष आदेश प्रदान किए हैं: -

Sr. No	Existing Rule	Approved Rule
4.8	<p>a. TOC facility will be given to the ex-students of H.P. Board of School Education only. Candidate has the option to get the credit transferred in the subjects qualified with minimum 33% passing marks.</p> <p>b. No TOC facility will be given to the other equivalent boards.</p> <p>c. TOC facility can be availed within 05 years.</p> <p>d. Theory and Practical are considered as one unit and in order to qualify a subject involving practical(s), candidate has to qualify Theory and Practical separately with 33% marks. If a candidate fails in Practical in such case, he/she has to appear both in Theory & Practical examinations again.</p> <p>e.</p>	<p>a. - Same as it is -</p> <p>b. - Same as it is -</p> <p>c. - Same as it is -</p> <p>d. - Same as it is -</p> <p>e. Candidates of Vocational subjects under NSQF, who have previously appeared and failed in the secondary and senior secondary Examination but passed in the practical examination of the HP Board. Such candidates will be awarded the benefit of TOC in Practical portion as per provision of 4.8.e.</p>

डा०(मेज़र)विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। दिनांक: 26-02-2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव(शिक्षा), हि० प्र० सरकार, शिमला-171002।
2. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हि० प्र०, शिमला 171001।
3. सहायक सचिव/निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
4. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/समस्त उप-सचिव/सहायक सचिव, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
5. हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में तैनात समस्त समन्वयकों को उपरोक्त वर्णित अनुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी सामान्य शाखा हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आगामी बोर्ड बैठक में उक्त निर्णय को संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करें।
7. अनुभाग अधिकारी दसवीं/जमा दो हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा शाखा को उपरोक्त अधिसूचना अनुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी आई० टी० शाखा हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को उपरोक्त अधिसूचना बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करने व इससे सम्बन्धित ऑनलाइन साइट में आवश्यक बदलाव/संशोधन तुरंत करने हेतु।
9. लोक सम्पर्क अधिकारी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु।

डा०(मेज़र)विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव